


74



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

R-3292-112

प्र०प्र०

श्री. रा. क. व. शर्मा, क०प्र०

द्वारा आज दि. 27-9-12 को

प्रस्तुत

27-9-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

11/06/93 अर्थात् 0

26-8-12

1. रामदास कुशवाह पुत्र श्री भगवानदास
कुशवाह आयु-40 साल निवासी
नाका चन्द्रवदनी लखर ग्वालियर
कृष्ण हाल इन्दरगढ़ तहसील इन्दरगढ़
जिला दतिया म०प्र०

2. श्रीमती ममता पत्नी रामदास कुशवाह
आयु करीबन -36 साल निवासी
नाका चन्द्रवदनी लखर ग्वालियर
हाल निवास एवं कृष्ण इन्दरगढ़ तह.
इन्दरगढ़ जिला दतिया म०प्र०

-----आवेदकगण

वनाम

आशाराम पुत्र श्री डब्लू कुशवाह आयु
करीबन -58 साल निवासी वार्ड क्र.
11 इन्दरगढ़ तहसील इन्दरगढ़ जिला
दतिया म०प्र० -----अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० म०र० 1959
विश्व आदेश दिनांक-19/9/2012 न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी इन्दरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-64/अपील/
2011-12 में धारा-5 अ्याद अधिनियम के आदेश से परिवर्तित
टोकर प्रस्तुत की जा रही हैं।

Handwritten signature and scribbles

राजस्व मण्डल ग्वालियर



3/10/12

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3292-एक/2012

जिला-दतिया

रामदास कुशवाह व अन्य विरुद्ध आशाराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अगिमापन हस्ताक्षर
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़, जिला-दतिया के प्रकरण क्रमांक 64/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-09-2012 एवं 20-07-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला-दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-08-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;"> (आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">16/19</p>